

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 23 / 2024

निर्णय दिनांक : 13.07.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 69

दायर दिनांक - 22.03.2024

ओमप्रकाश पुत्र मानाराम जाति नायक निवासी ग्राम कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़
हाल निवासी ग्राम बालेरा, तहसील बीदासर जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-


1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।


निर्णय


संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निवासी ग्राम कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम बालेरा, तहसील बीदासर जिला चूरु का निवासी है जिनके रोही कोडासर बीदावतान में खेत खाता संख्या 02 के खसरा संख्या 237, 251 व 253 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में औमाराम पुत्र माना दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में ओमप्रकाश पुत्र मानाराम दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


लोक अदालत
सुजानगढ़


सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम ओमप्रकाश पुत्र मानाराम दर्ज है। औमाराम व ओमप्रकाश दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ओमप्रकाश पुत्र मानाराम किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, परिवार का राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र मानाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्य 02 के खसरा संख्या 237 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, 251 रकबा 0.8345 हैक्टेयर व 253 रकबा 2.0105 हैक्टेयर वाके रोही कोडासर वीदावतान तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार औमाराम पुत्र माना के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मानाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
लोक अदालत
सुजानगढ़


रेव्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़